भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5128
दिनांक 24 मार्च, 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

गोमती नदी में वार्षिक बाढ़

5128. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री देवेश शाक्यः
श्री नीरज मौर्यः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जौनपुर और कासगंज जिलों तथा आंवला निर्वाचन क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में गोमती, गंगा और रामगंगा नदियों में आने वाली वार्षिक बाढ़ से हुई जानमाल की हानि के संबंध में कोई सटीक आंकड़े हैं;
(ख) क्या सरकार के पास उक्त नदियों के बाढ़ प्रभावित तटीय क्षेत्रों, विशेषकर जौनपुर, एटा, कासगंज, बरेली और बदायूं में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के अंतर्गत स्थायी राहत एवं आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;
(ग) क्या सरकार का साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जौनपुर, एटा, कासगंज, बदायूं और बरेली जिलों में स्थानीय स्तर पर 'साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं' स्थापित करने का विचार है; और
(घ) क्या इन क्षेत्रों के युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष कोचिंग, प्रशिक्षण या जागरूकता शिविर आयोजित करने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। यह मंत्रालय किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का डेटा केंद्रीय स्तर पर संग्रहित नहीं करता है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरेली, जौनपुर और कासगंज जिलों में जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुए जान-माल के नुकसान का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 5128, दिनांक 24.03.2026

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44(1) के अनुसार, किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में विशेषज्ञ प्रतिक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाएगा। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 16 बटालियनें हैं, जो देश की आपदा संवेदनशीलता के अनुसार स्थित हैं और आपदाओं के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जिनमें गाजियाबाद और वाराणसी में स्थित दो बटालियनें भी शामिल हैं। इसके अलावा, देश भर में एनडीआरएफ के 28 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र (आरआरसी) हैं, जिनमें नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर में स्थित तीन आरआरसी भी शामिल हैं। राज्यों/जिलों के अनुरोध पर मानसून के मौसम में बाढ़ संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात रहती हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अपराधों और अपराधियों की जांच और अभियोजन, तथा संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की है।

इस मंत्रालय के अधीन फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (एनएफआईईएस) के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) में डिजिटल फोरेंसिक प्रभाग की सुविधा के साथ एक नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है, ताकि डिजिटल साक्ष्यों का प्रबंधन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के रेफरल मामलों का प्रबंधन चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) द्वारा किया जाता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 5128, दिनांक 24.03.2026

अनुलग्नक

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में जान-माल की हानि और क्षति के आंकड़े

वर्ष	मृत्यु	प्रभावित पशुधन	मकानों का नुकसान	
			कच्चा मकान	पक्का मकान
2021	14	23	369	02
2022	24	42	837	-
2023	30	09	127	-
2024	47	11	167	-
2025	14	12	107	01
कुल	**129**	**97**	**1607**	**03**

कासगंज (उत्तर प्रदेश) में जान-माल की हानि और क्षति के आंकड़े

वर्ष	मृत्यु	प्रभावित पशुधन	मकानों का नुकसान	
			कच्चा मकान	पक्का मकान
2021	17	66	108	28
2022	14	73	180	36
2023	35	46	83	141
2024	68	58	80	84
2025	09	38	171	196
कुल	**143**	**281**	**622**	**485**

बरेली (उत्तर प्रदेश) में जान-माल की हानि और क्षति के आंकड़े

वर्ष	मृत्यु	प्रभावित पशुधन	मकानों का नुकसान	
			कच्चा मकान	पक्का मकान
2021	12	07	183	02
2022	17	-	175	14
2023	37	07	77	01
2024	55	11	179	25
2025	23	03	126	01
कुल	**144**	**28**	**740**	**43**
